पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित समिति ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
कुलपतियों का कार्यकाल, अधिनियम संशोधन, शुल्क, सम्बद्धता विषयों पर अपनी संस्तुति दी

लखनऊ: 1 अगस्त 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति श्री राम नाईक को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन किए जाने एवं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सहित अन्य विषयों में सुधार के लिए श्री एस0एस0 उपाध्याय की अध्यक्षता में 16 जून 2017 को गठित समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति को माह जुलाई 2017 तक उन सुझावों को कुलाधिपति तथा राज्य सरकार को सौंपने के लिए गठित किया गया था जिन्हें राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में शीघ्र समावेशित करने की आवश्यकता है। समिति ने अब तक कुल 08 बैठकें की हैं और अपनी प्रथम रिपोर्ट 31 जुलाई 2017 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति को सौंप दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल के सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा उक्त समिति का गठन 16 जून 2017 को किया गया था। समिति के अध्यक्ष राज्यपाल के विधि परामर्शी श्री एस0एस0 उपाध्याय व अन्य सदस्य (1) छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, (2) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति एवं वर्तमान में एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ के निदेशक प्रो0 बलराज चैहान, (3) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव श्रीमती मधु जोशी, (4) उच्च शिक्षा निदेशालाय इलाहाबाद के विधि अधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी, (5) ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के कार्यकारी कुलपति एवं कुलसचिव श्री एस0के0 शुक्ला हैं। समिति ने सम्पन्न अपनी विभिन्न बैठकों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं और उनके निदान के बारे में अनुभव रखने वाले कई पूर्व कुलपतियों और विद्वानों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया, जिनमें (1) प्रो0 भूमित्र देव, (2) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 रजनी कान्त पाण्डेय, (3) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो0 पृथ्वीश नाग, (4) विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति प्रो0 योगेश दुबे, (5) राज्यपाल के अपर विधिक परामर्शदाता श्री कामेश शुक्ल, (6) जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ के प्रधानाचार्य डाॅ0 एस0डी0 शर्मा आदि थे।

समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(1) कुलपति का कार्यकाल:

समिति ने कुलाधिपति को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का वर्तमान कार्यकाल 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष किए जाने की संस्तुति की है। कुलपति का 03 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर कुलाधिपति कुलपति को 02 वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार तभी देंगे जब कुलाधिपति कुलपति के 03 वर्ष के कामकाज से संतुष्ट हों।

(2) विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किया जाना:

राज्यपाल को प्रस्तुत रिपोर्ट में समिति ने महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता प्रदान किए जाने के संबंध में संस्तुति की है कि विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करते हुए उनका निरीक्षण एक तीन-सदस्यीय समिति के माध्यम से कराया जाए। समिति में सदस्य के रूप में उस क्षेत्र के उप-जिलाधिकारी, जहाँ महाविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित हो, होंगे और सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा द्वितीय सदस्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों अथवा राजकीय डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों में से किसी एक को नामित किया जाएगा। निरीक्षण समिति के तृतीय सदस्य के रूप में कुलाधिपति कार्यालय द्वारा सृजित की गई सूची के अधिकारीगण में से की जाएगी। यह सूची राजभवन द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य की द्वितीय श्रेणी अथवा उसके ऊपर की सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों, राज्य के जनपद न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से सृजित की जाएगी। निरीक्षण समिति नव स्थापित महाविद्यालयों के भवनों एवं उपलब्ध सुविधाओं आदि की आन्तरिक एवं बाह्य वीडियोग्राफी करवाकर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रमाणित करते हुए सी0डी0 के साथ सम्बन्धित विश्वविद्यालय को सौंपेगी। विश्वविद्यालय स्तर पर सम्बद्धता के प्रश्न पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्णय लिया जाना

अनिवार्य होगा अन्यथा सम्बद्धता का प्रकरण स्वतः कुलाधिपति को संदर्भित हुआ माना जाएगा और तब कुलाधिपति द्वारा ही सम्बद्धता के प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय शुल्क निर्धारण:

समिति ने अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों से वसूल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों के संबंध में संस्तुति की है कि राज्य विश्वविद्यालय शुल्क बढ़ाये जाने का प्रस्ताव अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार 30 दिवस के अन्दर अध्यादेश पर या तो अपना अनुमोदन देगी अथवा उसे निरस्त करेगी, परन्तु यदि 30 दिवस के अन्दर राज्य सरकार निर्णय नहीं लेती है तो शुल्क अध्यादेश स्वतः अनुमोदित हुआ मान लिया जाएगा।

(4) शिक्षकों हेतु असाधारण अवकाश:

समिति ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को विशेष परिस्थितियों में वेतन रहित असाधारण अवकाश मौजूदा 05 वर्ष के स्थान पर अधिकतम 10 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाने हेतु कतिपय प्रतिबंधों के साथ अपनी संस्तुति की है।

(5) समिति की आगामी बैठकों हेतु विचारणीय बिन्दु:

समिति विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के अन्तर-विश्वविद्यालयीय स्थानान्तरण, कुलपतियों एवं शिक्षकों की स्पष्ट सेवा शर्तों और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित प्रावधान, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु मौजूदा 62 वर्ष से 65 वर्ष किए जाने, शिक्षकों की प्रोन्नति को उनके प्रदर्शन एवं छात्रों के परीक्षा परिणामों के सापेक्ष किए जाने आदि जैसे विभिन्न विषयों पर विचार हेतु अपने दूसरे दौर की बैठकें 19 अगस्त से प्रारम्भ करेगी।

समिति को अगले 6 माह में यह सुझाव भी देना है कि उत्तर प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को एक अधिनियम से शासित करने हेतु उनके अलग-अलग अधिनियमों के स्थान पर केवल 01 अधिनियम किस प्रकार बनाया जा सकता है और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा दी जा रही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। समिति को राज्य के स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं विधिक संरचना के बारे में भी सुझाव देना है।

अंजुम/ललित/राजभवन (285/1)